SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No.....105 9/22
Summary No...481/2022

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर म.प्र। ----- अभियोगी

बनाम

विक्रमसिंह पिता दलपतसिंह
उम्र - 32 वर्ष नि - डोरवाड़ा ----अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 29/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त विक्रमसिंह पिता दलपतसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी— डोरवाड़ा के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हूं कि :-

01- आपने दिनांक 24/09/22 को समय 16:00 से 18:00 बजे के दरमियान माता जी का मन्दिर डोरवाड़ा ~~मंदसौर~~ पुलिस थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर क्षेत्र अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 07 ली. देशी प्लेन / मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1—क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाकः—

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि — अपराध स्वीकार है

विक्रम

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No 1059/22
Summary No 481/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ------- अभियोगी
जिला मंदसौर मप्र।

बनाम

विक्रमसिंह पिता दलपतसिंह ---------अभियुक्त
उम्र - 32 वर्ष नि - डोरवाड़ा

## —:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 29/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान मे लोगो मे नशा करने की प्रवृत्तियां बढ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नही दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1200/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही किये जाने की दशा मे अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

स्थान - नारायणगढ
दिनाक - 29/10/22

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर म. प्र.